रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082026-275411
CG-DL-E-12082026-275411

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 501] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 12, 2026/श्रावण 21, 1948
No. 501] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 12, 2026/SHRAVAN 21, 1948

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2026

फा. सं. ए. 60011/06/2018/एचआरपीसी/पार्ट.2.—भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) की धारा 42 की उपधारा (4) के साथ पठित उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, केंद्र सरकार के अनुमोदन से, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (छुट्टी) विनियम, 2003 में और संशोधन करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.– (1) इन विनियमों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (छुट्टी) संशोधन विनियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (छुट्टी) विनियम, 2003 (जिसे इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) में, विनियम 11 के उप-विनियम (6) में खंड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

''(ए). गर्भावस्था के लिए:– ऐसी महिला कार्मिक (परिवीक्षाधीन सहित) जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों, उनको प्रसूति छुट्टी प्रारंभ होने की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि के लिए स्वीकृत की जा सकती है। यह छुट्टी

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी अथवा अस्पताल या नर्सिंग होम द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने अथवा जमा करने पर स्वीकृत की जाएगी।

(बी). गर्भपात या गर्भावस्था की चिकित्सकीय समाप्ति के लिए:– किसी महिला कार्मिक (चाहे उसके जीवित बच्चों की संख्या कितनी भी हों) को उसके पूरे सेवाकाल के दौरान गर्भपात, एबॉर्शन सहित, की स्थिति में, चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर 45 दिनों तक की प्रसूति छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है |

बशर्ते कि गर्भपात में आशंकित गर्भपात (थ्रेटन्ड अबॉर्शन) शामिल न हो और आशंकित गर्भपात के मामले में प्रसूति छुट्टी स्वीकृत नहीं की जा सकती है।

3. उक्त विनियमों में, विनियम 16 को हटा दिया जाएगा।

विपिन कुमार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./270/2026-27]

नोट: मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, धारा 4 में संख्या एएआई/पीईआर एस/ईडीपीए/आरईजी/2002, दिनांक 13 जून, 2003 के तहत प्रकाशित किए गए थे और 11(10) को संख्या एएआई/पीईआरएस/ईडीपीए/आरईजी/20 ए-42011/60/2020-एच.आर., दिनांक 11 जुलाई, 2024 के तहत संशोधित किया गया था।

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2026

F. No. A.60011/06/2018/HRPC/Pt.2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) read with sub-section (4) of section 42 of the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994), the Airports Authority of India, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to further amend the Airports Authority of India (Leave) Regulations, 2003, namely:–

1. Short title and commencement.– (1) These regulations may be called the Airports Authority of India (Leave) Amendment Regulations, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Airports Authority of India (Leave) Regulations, 2003 (hereinafter referred to as the said Regulations), in regulation 11, in sub-regulation (6), for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:–

"(a). For Pregnancy:– A female employee (including a probationer) with less than two surviving children may be granted maternity leave for a period of 180 (one hundred and eighty) days from the date of its commencement. The leave will be granted on submission or production of medical certificate issued by the authorised medical officer or hospital or nursing home.

(b). For Miscarriage or Medical Termination of Pregnancy:– Maternity leave not exceeding 45 days may also be granted to a female employee (irrespective of the number of surviving children) during the entire service of that female employee in case of miscarriage including abortion on production of medical certificate.

Provided that abortion does not include threatened abortion and maternity leave cannot be granted in case of threatened abortion."

3. In the said Regulations, regulation 16 shall be omitted.

VIPIN KUMAR, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./270/2026-27]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 vide No. AAI/PERS/EDPA/REG/2002, dated 13th June, 2003 and 11(10) was amended vide No. AAI/PERS/EDPA/REG/20A-42011/60/2020-HR, dated 11th July, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA